Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-3 Negotiable instrument Act, 1881

रेखांकन का प्रभाव (Effect of Crossing) – रेखांकित बैंक के निम्नलिखित प्रभाव होते है –

1. *रेखांकित चैक का भुगतान कभी भी बैंक के काऊण्टर पर नकदी में नही हो सकता भले ही बैंक का आदाता (Payee), भुगतानकर्ता बैंकर का ग्राहक ही क्यों न हो / ऐसे चैक का भुगतान आदाता के खाते में या किसी बैंकर को ही क्रेडिट करके दिया जा सकता है / नकदी में भुगतान दे देता है /*

2. *साधारण रेखांकित चैक की दशा में उसका भुगतान किसी भी बैंकर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् भुगतानकर्ता बैंकर*

उक्त चैक को प्रस्तुत करने वाले किसी भी बैंक के भुगतान दे देता है |

3. *विशेष रेखांकित चैक की दशा में भुगतानकर्ता बैंक उसी बैंक को भुगतान कर सकता है जिसका रेखांकित में अंकित है |*

4. *सीमित रेखांकन की दशा में संग्रहकर्ता बैंक चैक में आदाता के रूप में अंकित व्यक्ति के लिये ही भुगतान प्राप्त कर सकता है |*

5. *'अपरक्राम्य रेखांकन' का भुगतानकर्ता बैंकर के लिये कोई महत्व नही होता |*

6. *दोहरे रेखांकन की दशा में भुगतानकर्ता बैंकर के दुसरे रेखांकित बैंक को तभी भुगतान करना चाहिये जबकि रेखांकन में दुसरे बैंक के नाम के साथ 'As Agent for Collection' शब्द लिखा हुआ है ||*

रेखांकित चैक के प्रति बैंकर का दायित्व

(Liability of Banker Towards Crossed Cheque)

- *यदि भुगतानकर्ता बैंकर रेखांकन में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार भुगतान नही करता है तो वह चैक के वास्तविक स्वामी तथा चैक के लेखक के प्रति उतरदायी होता है |*
- *भुगतानकर्ता बैंकर चैक के वास्तविक स्वामी के प्रति उस क्षति के लिए उतरदायी होगा जो उसे गलत भुगतान के कारण उठानी पड़ी हो |*
- *ऐसी दशा में बैंकर गलत भुगतान की गई रकम को अपने ग्राहक अर्थात् चैक के लेखक के खाते में भी Debit नही लिख सकता क्योंकि ऐसे भुगतान को लेखक के आदेशानुसार भुगतान नही माना जा सकता|*
- *जहाँ तक संग्रहकर्ता बैंकर का प्रश्न है, यदि संग्रहकर्ता बैंकर अपने ग्राहक के किसी रेखांकित चैक का भुगतान सद्विश्वास तथा सावधानीपूर्वक प्राप्त कर सकता है तो ऐसे संरक्षण के लिए वह चैक के वास्तविक स्वामी के प्रति उतरदायी नही माना जाता है |*

रेखांकन का मिटाना (Obliteration of Crossing) –

यदि चैक के धारक द्वारा चैक पर किये गए रेखांकन को इस प्रकार मिटा दिया जाता है जिससे यह प्रतीत नही होता है की चैक पर रेखांकन किया गया था और धारक इस चैक को बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत कर

बैंकर से उसका नकद भुगतान प्राप्त कर लेता है तो बैंकर को धारा 89 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है | ऐसे बैंक का नकद भुगतान कर देने पर भी बैंकर पर कोई जोखिम नही आती और भुगतानकर्ता बैंक उस चैक के दायित्व से मुक्त हो जाता है |

रेखांकन को रद (निरस्त) करना या खोलना (Cancellation or Opening of Crossing) –

- जब चैक के रेखांकन समाप्त कर दिया जाता है तो उसे 'रेखांकन का निरस्तीकरण या खोलना' कहते है |
- रेखांकन को रद करना का अधिकार चैक के लेखक (आहर्ता) को ही है |
- रेखांकन की निरस्त करने के लिए चैक लिखने वाला रेखांकन को काटकर उस स्थान पर 'Pay Cash' शब्द लिखकर अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर देता है |
- रेखांकन निरस्त कर देने से उक्त चैक एक खुला चैक (Open Cheque) बन जाता है और उसका बैंक के काऊण्टर पर नकद भुगतान प्राप्त किया जा सकता है |
- चैक के रेखांकन के निरस्त करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, अत: भुगतानकर्ता बैंक को निरस्तीकरण के सम्बन्ध में लेखक के हस्ताक्षर की वास्तविकता एवं विधि मान्यता सम्बन्धी जाँच करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये |

- *यदि चैक का धारक, चैक के लेखक के जाली हस्ताक्षर बनाकर रेखांकन को निरस्त करके बैंक से नकद भुगतान प्राप्त कर लेता है तो बैंकर उक्त बैंक के वास्तविक स्वामी के प्रति उतरदायी होगा*